न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 45/2016

1 महेन्द्र सिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी उरीका व निवासी बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 कुमारी निकिता उर्फ अंकिता उम्र 11 साल नाबालिग पुत्री महेन्द्र सिंह जरिये बली कुदरती माता सुमित्रा उर्फ श्रीमती भगवानी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2 श्रीमती सुमित्रा उर्फ भगवानी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी उरीका व बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 श्रीमती लाडो देवी पुत्री बीरबल पत्नी विरेन्द्र।
4 श्रीमती नानड़ी पुत्री बीरबल पत्नी सुबेसिंह।
5 श्रीमती संतोष पुत्री बीरबल पत्नी राजेन्द्र।
6 श्रीमती प्रेम पुत्री बीरबल पत्नी अनुसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
7 मोनू उम्र 12 साल नाबालिग पुत्र महेन्द्र सिंह जरिये बली कुदरती माता सुनिता पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट हाल निवासी सी.एच.सी. अस्पताल राजगढ़ जिला चुरू।
8 राजस्थान सरकार भूमिधारक अधिकारी तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.05.2016 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ बमुकदमा उनवानी
कुमारी निकिता उर्फ अंकिता वगैरह बनाम बीरबल
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 250/13

अपील संख्या 73/2016

1 कुमारी निकिता उर्फ अंकिता उम्र करीब 17 साल पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी उरीका व बास बिजोली तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये वाद मित्र श्रीमती सुमित्रा उर्फ श्रीमती भगवानी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2 श्रीमती सुमित्रा उर्फ भगवानी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी उरीका व बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक बीरबल पुत्र बल्लाराम जाति जाट निवासी उरीका व निवासी बास बिजोली तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू नोट दौराने दावा देहान्त हो गया।
2 महेन्द्र सिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी उरीका व निवासी बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 मृतका श्रीमती धापा देवी पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू नोट दौराने दावा देहान्त हो गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

4 श्रीमती लाडो देवी पुत्री बीरबल पत्नी विरेन्द्र।
5 श्रीमती नानड़ी पुत्री बीरबल पत्नी सुबेसिंह।
6 श्रीमती संतोष पुत्री बीरबल पत्नी राजेन्द्र।
7 श्रीमती प्रेम पुत्री बीरबल पत्नी अनुसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
8 मोनू उम्र 12 साल नाबालिग पुत्र महेन्द्र सिंह जरिये बली कुदरती माता सुनिता पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट हाल निवासी सी.एच.सी. अस्पताल राजगढ़ जिला चुरू।
9 राजस्थान सरकार भूमिधारक अधिकारी तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 अपील
खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
दिनांक 12.05.2016 बमुकदमा उनवानी कुमारी निकिता
बनाम मृतक बीरबल आदि आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा
212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व अ.आदेश
39 नियम 1 व 2 व आदेश 40 नियम 1 व धारा 151
सि.प्र.स. मुकदमा नम्बर 180/2014

उपस्थिति :

1. श्री जगदीशचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हजारीलाल सुणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.04.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 250/2013 व 180/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बास बिजौली की सरहद में जमीन नम्बर ख.न. 69 रकबा 10.33 है. है व ग्राम उरीका की सरहद में जमीन ख.न. 92 रकबा 2.84 है., ख.न. 215/1 रकबा 2.30 है., ख.न. 219/1 रकबा 0.93 है., ख.न. 252/1 रकबा 0.82 है., ख.न. 284 रकबा 3.58 है., ख.न. 242/2(511/242) रकबा 1.76 है. है। उक्त जमीन के बाबत अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्टस के खिलाफ दावा उनवानी कुमारी निकिता आदि बनाम मृतक बीरबल आदि दावा घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा दावा सं. 233/2014 पेश कर रखा है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ में विचाराधीन है। अपीलान्टस/ आवेदकगण ने रेस्पोडेन्टस/अनावेदकगण के खिलाफ उक्त जमीन के बाबत उक्त प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदि पेश किया जिसमें उक्त जमीन के बाबत अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्टस नं. 1 से 7 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष व उक्त जमीन पर रिसिवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा लेकिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 12.05.2016 में अपीलान्टस का प्राईमा फैसी केश होना मानकर व अपार क्षति आदि के बिन्दु अपीलान्टस के हक में मानकर रेस्पोडेन्टस के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का ही अनुतोष अपीलान्टस के हक में पारित किया व विवादित जमीन पर रिसीवर नियुक्त करने बाबत अपीलान्टस को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ ने अनुतोष प्रदान ही किया। इस कारणं उक्त विवादित जमीन पर रिसिवर नियुक्त करवाने के लिये अपीलान्टस की ओर से यह अपील संख्या 73/2016 प्रस्तुत की गई है। इसी निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी महेन्द्र सिंह की ओर से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को अपास्त करने हेतु अपील संख्या 45/2016 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश रिसीवर नियुक्त नहीं कर विधिक त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने अपीलांट नं. 2 की मौजुदगी में सुनिता से शादी की व उससे रेस्पोडेन्ट नं. 8 पैदा होना भी विवादित नहीं है। लेकिन पैत्रिक सम्पति में अवैध सन्तान को हक नहीं मिलता। योग्य अदालत मातहत ने विवादित कृषि भूमि पैत्रिक होना मानकर अपीलान्टस का हिस्सा होना मानकर भी रिसीवर नियुक्त करने का अनुतोष प्रदान न करने में भुल की है। रेस्पोडेन्टस ताकत के बल पर विवादित भूमि को अकेले काश्त कर रहे है। अपीलांट को उसके हिस्से की भूमि काश्त नहीं करने दी जा रही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जमीन पर पेड़ आदि काटकर भूमि को वेस्टडेमेज किया जा रहा है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर रिसीवर नियुक्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में अपीलान्ट के हक अधिकार, कब्जेकाश्त का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विवादित भूमि अप्रार्थी के पिता बीरबल की खातेदारी की थी। बीरबल की मृत्यु के उपरांत प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्त है। अपीलांट न तो खातेदार काश्तकार है एवं न ही कब्जा है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मृतक बीरबलराम की होना एवं बीरबलराम से उसके लड़के को मिलना तथा

विवादित भूमि पैतृक होना स्वीकृत तथ्य है। पक्षकारो के हकहकूक का निर्णय उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरांत मूलवाद में होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

जहां तक विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का प्रश्न है पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि को वेस्ट डेमेज ऐलीनेट किया जा रहा हो इसके अभाव में विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनो अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर